

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सुखद सहारा योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹1,000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹ 2,899.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 28,99,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹ 1,000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

सुखद सहारा योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹ 1,512.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,12,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

सुखद सहारा योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹ 1,349.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,49,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

मुख्यमंत्री पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन प्रदाय किये जाने हेतु राशि ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 4215

मद क्रमांक 10

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना हेतु ₹25,000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।